



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267639
CG-DL-E-13112025-267639

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4984]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4984]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5153(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट 0 कि.मी. से 15.5 कि.मी. के Connecting Bypass तक के भूखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चोड़ाकरने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन कि तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-Connecting Bypass तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या 1	सक्षम प्राधिकारी 2	भूमि का विवरण 3	राज्य 4	जिले का नाम 5	तालुक का नाम 6	गांव का नाम 7
1	अपर कलेक्टर, निवाड़ी (म.प्र.)	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या Connecting Bypass	मध्य प्रदेश	निवाड़ी	ओरछा	1 बनगांय खास 2 मजरा बनगांय 3 जमुनियांखास

		के कि.मी 0 से कि.मी 15.5 तक				4	रूंदमकोरा
						5	रामनगर
						6	ढिमरपुरा
						7	कुँवरपुरा
						8	बबेडी
						9	प्रतापपुरा
						10	जमुनियांभाटा
						11	गुजरा खुर्द
						12	मथुरापुरा

[फा. सं. NHAI/PIU-Chhp/3a/2025]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5153(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from Km. 0 to Km. 15.5 of the Connecting Bypass for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of MADHYA PRADESH.

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. Connecting Bypass in the State of MADHYA PRADESH.

Sl. No. 1	CALA 2	Stretch 3	State 4	District 5	Taluk/Mandal 6	Name of the Village 7	
1	ADM, Niwari (MP)	Connecting Bypass KM 0 TO KM 15.5	MADHYA PRADESH	NIWARI	Orachha	1	Bangay Khas
						2	Majra Bangay
						3	Jamuniyakhas
						4	Rudmkora
						5	Ramnagar
						6	Dhimarpura
						7	Kunwarpura
						8	Babedi
						9	Pratappura
						10	Jamuniyabhata
						11	Gujrra Khurd
						12	Mathurapura

[F. No. NHAI/PIU-Chhp/3a/2025]

SHAIKH AMINKHAN, Director